

वित्त मंत्रालय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई संधि में संशोधन के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित

Posted On: 07 NOV 2017 6:15PM by PIB Delhi

दोहरा कराधान टालने और आय पर टैक्स के संदर्भ में वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार के बीच हुई संधि में संशोधन के लिए तीसरे प्रोटोकॉल पर दोनों देशों ने 26 अक्टूबर, 2016 को हस्ताक्षर किए थे। यह प्रोटोकॉल भारत में 07 नवंबर, 2017 से प्रभावी हो चुका है और इसे 02 नवंबर, 2017 को ही आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

उपर्युक्त प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान की मौजूदा रूपरेखा का अद्यतन नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप कर दिया गया है। इससे कर चोरी के साथ-साथ दोनों देशों के बीच कर को टालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस प्रोटोकॉल से करों के संग्रह में पारस्परिक सहायता भी संभव हो पाएगी।

वीके/आरआरएस/डीके-5373

(Release ID: 1508674) Visitor Counter: 16

f







in

